HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Bail Application No. 12653/2022

Hemraj S/o Nandlal, Aged About 24 Years, R/o Sondhiya Ki Jhopadiya, Police Station Namana, Distt. Bundi (Raj.) (At Present Confined In Distt. Jail Bundi Distt. Bundi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : Ms. Rekha Arora
For Respondent(s) : Mr. Riyasat Ali, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

31/08/2022

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत पुलिस थाना–नमाना, जिला–बूंदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**56/22** अपराध अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं आयी है, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

करीब 13 वर्षीय पीडिता द्वारा धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के कथनों में पिता द्वारा किये जा रहे रिश्ते से नाखुश होकर दिलखुश के साथ स्वेच्छया जाने तथा संबंध बनाने का कथन किया है तथा जाहिर किया है कि हस्तगत अभियुक्त हेमराज को फोन करके बुलाया था तथा वह उसके साथ दिलखुश के यहां गयी थी। अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **हेमराज पुत्र नन्दलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /87